उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग – 1
संख्या 6153/9–आ–1 प्रोसेसिंग शुल्क/2001
लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास निर्माण से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान, निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने, विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सुविधा–प्रदायक भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन आवास बन्धु का गठन किया गया है।

2. निजी क्षेत्र की सहभागिता विषयक प्रकरणों पर यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि कई प्रकरण इस कारण विलम्बित होते हैं कि विभिन्न स्तरों पर नीतिगत स्पष्टता न होने के कारण निर्णय नहीं हो पाता है। ऐसे में यह उचित पाया गया है कि यदि विभिन्न पहलुओं पर नीतिगत अथवा अन्य मार्गदर्शन उपलब्ध करा दिया जाए तो अनावश्यक विलम्ब समाप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को स्वावलम्बी बनाए जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि आवास बन्धु द्वारा प्रदान किए जाने वाले तकनीकी मार्गदर्शन हेतु विषय की प्रकृति के आधार पर निम्नानुसार प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा :–

(क) गैर व्यवसायिक सम्बन्धित

(1) व्यक्ति के लिए रू0–250.00

(2) व्यक्ति समूह या संस्था रू0–500.00

(ख) व्यवसायिक सम्बन्धित

(1) व्यक्ति के लिए रू0–2500.00

(2) व्यक्ति समूह या संस्था रू0–5000.00

3. विभिन्न आवेदकों को उनके द्वारा वांछित विषयों पर तकनीकी मार्गदर्शन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किया जाएगा :–

(i) आवदेक से जमा कराई जाने वाली धनराशि केवल तकनीकी प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में होगी न कि परामर्श देने का शुल्क तथा प्रकरण की तकनीकी प्रोसेसिंग तभी आरम्भ की जाएगी जब अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

(ii) तकनीकी प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने के आधार पर किसी संस्था, व्यक्ति समूह अथवा व्यक्ति को परामर्श प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि किसी प्रकरण की तकनीकी प्रोसेसिंग किन्हीं कारणों से नहीं होती है तो ऐसी दशा में प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने के दिनांक से तीन माह में बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

(iii) आवास बन्धु द्वारा केवल नीतिगत तकनीकी प्रकरणों की ही प्रोसेसिंग की जायेगी तथा दिया गया तकनीकी परामर्श किसी संस्था/प्राधिकारी पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होगा। यदि किसी प्राधिकारी से विधिक अपेक्षा है कि वह गुणावगुण के आधार पर स्वविवेक से निर्णय लेगा तो स्पष्ट रूप से यह मार्गदर्शन उस पर बाध्यकारी नहीं होगा। परन्तु ऐसे प्राधिकारी से यह अवश्य अपेक्षित होगा कि अपने निर्णय में स्पष्ट करें कि किन कारणों से मार्गदर्शन स्वीकार नहीं किया जा सका ताकि सम्बन्धित पक्ष को अपील में अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध रहे।

(iv) प्रोसेसिंग के पश्चात यदि किसी संस्था, व्यक्ति, व्यक्ति समूह को उनकी अपेक्षानुसार तकनीकी परामर्श प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आवास बन्धु की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही प्रोसेसिंग शुल्क वापस किया जाएगा।

(v) विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद एवं शासन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य प्रकृति के प्रशासनिक प्रकरण इसके अंतर्गत ग्राह्य नहीं होंगे।

(vi) तकनीकी मार्गदर्शन के अंतर्गत विधिक प्रकरण सम्मिलित नहीं होंगे।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या – 6153(1)/9–आ–1–प्रोसेसिंग शुल्क/2001 (आ.ब.), तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी आवास संघ, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, यू0 पी0 आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
7. अध्यक्ष, यू0 पी0 चेप्टर आफ आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
8. अध्यक्ष, यू0 पी0 रेडको, लखनऊ।
9. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव